



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 524

17 aashadh, 1941(S)

Ranchi, Monday, 8th July, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

**Notification
8 july, 2019**

Notification No. -10/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No. 59 Dated- 8 july, 2019:- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, Notification No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters “10th”, wherever they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted;
- (ii) in Annexure IV, for the figures and letters “10th”, at both the places where they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to be effective from 10th May, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

Note: -The principal notification No. 11/2017 - State Tax(Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No.3/2019-State Tax (Rate), dated the 26th April, 2019 *vide* S.O. No. 45, dated the 26th April, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई, 2019

अधिसूचना सं०. 10/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 59 दिनांक 8 जुलाई, 2019 -- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून 2017, के तहत झारखण्ड के राज-पत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्ट में जहां-जहां भी अंक और अक्षर "10" आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर "20" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर "10" के स्थान पर अंक और अक्षर "20" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 10 मई, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/03/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट: - प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 - राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2019, राज्य कर (दर), एस. ओ. सं. 45, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।